उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.........वर्ष, 2025)

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम की अनुसूची-2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की अनुसूची-2 में क्रम संख्या-8 के पश्चात् क्रम संख्या सहित निम्नवत् प्रविष्टि अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :-

क्र. स.	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
9.	बैक्सिल गढ़वाल विश्वविद्यालय ग्राम कोल (कुसरैला), तहसील नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025	भगवंत एजुकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली।

कठिनाईयों के निवारण करने की शक्तियां

3. (1) यदि बैक्सिल गढ़वाल विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल की स्थापना के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

....

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में संशोधन मात्र है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

डा0 धन सिंह रावत

मंत्री

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 को संशोधित किये जाने विषयक है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री

खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 को संशोधित किये जाने विषयक है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधयेक के खण्ड 2 में अनुसूची–2 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधयेक के खण्ड 3 में कठिनाईयों के निवारण की शक्ति हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री

Statement of Objective and reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it has been decided by the State Government that private University with the name "Baxil Garhwal University'', Village Kol (Kusrela), Tehsil Narendranagar, Tehri Garhwal, shall be established. The aim of the said University is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote state related research programmes and to provide employment resources.

2- The proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Bill, 2025
(Uttarakhand Bill No. ...... Year, 2025)

A
Bill

further to amend in the Uttarakhand Private Universities Act, 2023,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Schedule- 2 in the Act 2. In Schedule-2 of the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 after serial number 8, entry including serial number shall be inserted, as follows namely :-

S.No	Name and Main Campus of the University	Name of Acts	Sponsoring Body
9.	Baxil Garhwal University Village Kol (Kusrela), Tehsil Narendra Nagar, District Tehri Garhwal.	The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025	Bhagwant Education Foundation, New Delhi.

Power to remove difficulties 3. (1) If any difficulty arises regarding the establishment of Baxil Garhwal University, Tehri Garhwal, then the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after expiry of 03 (three) years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly as soon as after it is made.

Financial Memorandum

The proposed Bill seeks to amend the Uttarakhand Private Universities Act, 2023.

2- The proposed Bill does not involve any recurring and non-recurring expenditure in the Consolidated Fund of the State.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

<u>Memorandum of Legislative Powers</u>

The proposed Bill seeks to amend the Uttarakhand Private Universities Act, 2023.

2- The proposed Bill contains only general delegation of legislative powers.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

Clause-wise Memorandum

The proposed Bill seeks to amend the Uttarakhand Private Universities Act, 2023.

1. In clause 1 of the Bill provision of short title and commencement is proposed.
2. In clause 2 of the Bill provision of amendment in Schedule-2 is proposed.
3. In clause 3 of the Bill provision of power to remove difficulties is proposed.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जनपद टिहरी गढवाल की तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम कोल (कुसरैला) में ''बैक्सिल गढ़वाल विश्वविद्यालय'' के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। उक्त विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यो को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री